[2018] 12 एस.सी.आर 842

कमलनाथ

बनाम

भारत का निर्वाचन आयोग एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 935/2018)

12 अक्टूबर, 2018

[न्यायमूर्ति, ए.के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति, अशोक भूषण]

चुनाव कानूनः निर्वाचन नियमावली 2016-अध्याय 11-खंड 11.2.2.2 - ड्राफ्ट रोल को वेबसाइट पर डालना - याचिकाकर्ता की मांग राजनीतिक दलों को टेक्स्ट प्रारूप-खोज योग्य पी. डी. एफ. प्रारूप में मसौदा मतदाता सूची की सॉफ्ट प्रतियां प्रकाशित/प्रदान करना - अभिनिर्धारित: चुनाव नियमावली का खंड 11.2.2 अभिव्यक्ति 'टेक्स्ट मोड' का उपयोग करता है - टेक्स्ट मोड में मतदाता सूची का प्रारूप तैयार कर जो याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है, चुनाव नियमावली में निहित आवश्यकता को पूरा करता है-खंड में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मतदाता सूची का मसौदा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 'खोज योग्य पीडीएफ' में रखा जाना चाहिए-इसलिए, याचिकाकर्ता एक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है कि मतदाता सूची का मसौदा वेबसाइट पर 'खोज योग्य तरीके' में रखा जाना चाहिए-इसके अलावा, क्योंकि खंड 11.2.2 याचिकाकर्ता को लिखित रूप में मतदाता सूची का मसौदा प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, जो 'पूर्ण लिखित खोज' प्रारूप में भी है, मतदाता सूची का मसौदा किस प्रारूप में प्रकाशित किया जाना है, इसके बारे में निर्णय लेना ईसीआई का काम है। मतदाताओं की गोपनीयता के मुद्दे शामिल हैं और ईसीआई के इस कदम का उद्देश्य मतदाता प्रोफाइलिंग और डेटा माइनिंग को रोकना है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया

1.1 ई. सी. आई. का दावा है कि उसने इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ता और उसके राजनीतिक दल को एक विस्तृत जवाब दिया कि याचिकाकर्ता और जिस राजनीतिक दल से वह संबद्ध है, मतदाताओं के दोहराव/गुणन के संबंध में शिकायत को दूर कर दिया गया है। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने **31** जुलाई, **2018** को याचिकाकर्ता और जिस राजनीतिक दल से वह संबद्ध हैं, उन्हें संशोधित मसौदा मतदाता सूची की एक प्रति भी प्रदान की। बार में यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने अब **27** सितंबर, **2018** को अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की है और याचिकाकर्ता (और उनके राजनीतिक दल) को इसकी एक प्रति प्रदान की है, जिसमें ऐसी सभी खामियों/विसंगतियों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही ठीक किया जा चुका है। ई. सी. आई. ने समझाया कि मतदाता सूची का संशोधन और अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसे निर्वाचन आयोग लगातार जारी रखे हुए है।

चुनाव नियमावली का खंड **1.2.2** ई. सी. आई. को अपनी वेबसाइट पर प्रारूप सूची को पी. डी. एफ. प्रारूप में रखने का दायित्व देता है। इसका उद्देश्य इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना है ताकि प्रत्येक मतदाता इसे देख सके और यह पता लगा सके कि उसका नाम सही तरीके से दिखाया गया है या नहीं और किसी भी त्रुटि के मामले में उक्त मतदाता इसे ठीक करने की स्थिति में हो।इसी तरह, यदि कोई विशेष मतदाता सूची से गायब है, तो वह व्यक्ति अपना नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ इस मामले को उठाने की स्थिति में होगा। इसकी एक प्रति राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों का यह

सुनिश्चित करने में समान हित है कि उपरोक्त गलतियों को दूर किया जाए।वे अतिरिक्त रूप से जांच कर सकते हैं कि क्या सूची में डुप्लिकेट या नकली मतदाता भी हैं और उसमें सुधार की मांग कर सकते हैं।हालांकि, उक्त खंड के दूसरे भाग में उल्लेख किया गया है कि ड्राफ्ट रोल को 'टेक्स्ट मोड' में रखा जाएगा।इसमें यह भी कहा गया है कि मतदाताओं के विवरण के सामने कोई तस्वीर नहीं दिखाई देगी।

भारतीय निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव नियमावली के खंड **11.2.2** में 'टेक्स्ट मोड' वाक्यांश के उपयोग का मतलब केवल यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली गई मतदाता सूची के मसौदे में केवल मतदाता के विवरण का 'पाठ' होगा, न कि उसकी 'तस्वीरें/चित्र/सचित्र सामग्री'; कि प्रत्येक पी. डी. एफ. दस्तावेज़, चाहे वह खोज योग्य हो या गैर-खोज योग्य/छवि पी. डी. एफ. हो और जिसमें 'टेक्स्ट मोड' में कोई भी पाठ सामग्री हो, उस अर्थ में पी. डी. एफ. है; कि पी. डी. एफ. दस्तावेज़ का 'टेक्स्ट मोड' प्रारूप कुछ भी नहीं है; और उस संबंध में एक साधारण 'गूगल खोज' भी स्पष्ट और निर्णायक रूप से इसे स्थापित करेगी।ई. सी. आई. के प्रस्तुत करने में बल है। चुनाव नियमावली के खंड **11.2.2** में 'टेक्स्ट मोड' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।उस मोड में मतदाता सूची का मसौदा, यानी टेक्स्ट मोड, याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है।खंड में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मतदाता सूची के मसौदे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 'खोज योग्य पीडीएफ' में रखा जाना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ता एक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि मतदाता सूची का मसौदा वेबसाइट पर 'खोज योग्य मोड' में रखा जाना चाहिए।यह केवल 'टेक्स्ट मोड' में होना चाहिए और इसे इस प्रकार प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा विकिपीडिया के दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है जो 'पूर्ण पाठ खोज' से संबंधित है न कि 'पाठ मोड' से।

जाहिर है, जब उक्त दस्तावेज़ बताता है कि 'पूर्ण पाठ खोज' कैसे की जानी है, तो स्पष्टीकरण यह होगा कि यह एक खोज इंजन है जो प्रत्येक संग्रहीत दस्तावेज़ों में सभी शब्दों की जांच करता है और पूर्ण पाठ खोज तकनीक भी प्रदान करता है।हालांकि, खंड **11.2.2** में 'खोज' शब्दों की अनुपस्थिति से सारा फर्क पड़ेगा ।

ई. सी. आई. द्वारा यह सही ढंग से समझाया गया है कि पी. डी. एफ. दस्तावेज़ मुख्य रूप से दो प्रकार/प्रारूपों के होते हैं, अर्थात् "केवल छवि" या स्कैन किए गए पी. डी. एफ.- जब एम. एफ. पी. और कार्यालय स्कैनर पर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को स्कैन किया जाता है, या जब कैमरा छवि, जे. पी. जी., टिफ़ या स्क्रीनशॉट को पी. डी. एफ. में परिवर्तित किया जाता है, तो सामग्री को एक स्नैपशॉट जैसी छवि में "लॉक" किया जाता है, जिसमें कोई अंतर्निहित पाठ परत नहीं होती है।इस तरह के केवल छवि वाले पीडीएफ दस्तावेजों में केवल पृष्ठों की स्कैन की गई/फोटोग्राफ की गई छवियां होती हैं।केवल छवि वाली पी. डी. एफ. फाइलें खोजने योग्य नहीं होती हैं, और उनके पाठ को आमतौर पर चयन, खोजा या प्रतिलिपि नहीं किया जा सकता है; और खोजने योग्य पी. डी. एफ.-खोजने योग्य पी. डी. एफ. में, छवि परत में एक पाठ परत जोड़ी जाती है, जिसे आमतौर पर नीचे रखा जाता है।इस तरह की पी. डी. एफ. फाइलें मूल दस्तावेजों से लगभग अप्रभेद्य होती हैं और पूरी तरह से खोज योग्य होती हैं।खोज योग्य पी. डी. एफ. दस्तावेजों में पाठ का चयन, खोज और प्रतिलिपि बनाई जा सकती है।

एक बार जब यह पाया जाता है कि खंड **11.2.2** याचिकाकर्ता को मतदाता सूची का मसौदा लिखित रूप में प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे 'पूर्ण लिखित खोज' प्रेपत्र में भी खोजा जा सकता है, तो यह निर्वाचन आयोग को तय करना है कि मतदाता सूची का मसौदा किस प्रारूप में प्रकाशित किया जाना है।ई. सी. आई. ने खोजने योग्य पी. डी. एफ. प्रारूप में मतदाता सूची का मसौदा उपलब्ध कराने में याचिकाकर्ता के अनुरोध का पालन नहीं करने के कारण बताए हैं।इसके अनुसार, मतदाताओं की निजता के मुद्दे शामिल हैं और निर्वाचन आयोग

के कदम का उद्देश्य मतदाता प्रोफाइलिंग और डेटा माइनिंग को रोकना है।ई. सी. आई. के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है, यह भी आवश्यक है कि ई. सी. आई. मतदाताओं की गोपनीयता और प्रोफाइलिंग की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।इसलिए सभी एहतियाती उपाय करना कर्तव्य है।हालाँकि, इस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है।

निर्वाचन नियमावली के खंड **11.2.2** को उपरोक्त तरीके से पढ़ने और व्याख्या करने पर, निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया निर्णय जो **4** जनवरी, **2018** के अपने निर्देशों में निहित है, प्रासंगिक हो जाता है।उन निर्देशों में, ई. सी. आई. ने अपने क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों को केवल मतदाता सूची की 'छवि पीडीएफ' को सार्वजनिक डोमेन में डालने के निर्देश दिए थे ।जिस प्रारूप में मतदाता सूची का मसौदा याचिकाकर्ता को दिया जाता है, वह चुनाव नियमावली में निहित आवश्यकता को पूरा करता है।यदि याचिकाकर्ता ऐसा चाहता है, तो वह हमेशा इसे खोज योग्य मोड में बदल सकता है, जिसके लिए उसे निश्चित रूप से अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

2002 का विशेष संदर्भ संख्या **1 (2002) 8** एस. सी. सी. 237:[2002] 3 पूरक। एससीआर 366; के. एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2017) 10** एस. सी. सी. **1;** प्रकाश जोशी बनाम भारत निर्वाचन आयोग **30** अक्टूबर, **2017** को डब्ल्यू. पी. (ग) **2017** की सं. **983-**निर्दिष्ट।

न्यायद्रष्टान्त संदर्भ

(2017) 10 एससीसी **1** संदर्भित किया गया है पैरा **13**

सिवल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) संख्या 935/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं. 1000/2018

कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, अनूप चौधरी, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, वरुण चोपड़ा, नमन जोशी, प्रशांत शिवराजन, सुश्री संगीता जोसी, वरुण तन्खा, अल्जो के. जोसेफ, अमित शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारों के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति, ए. के. सिकरी: 1.2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 935 याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें निम्नलिखित अनुतोशों का दावा किया गया हैः

(क) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिशत यादृच्छिक रूप से चुने गए मतदान केंद्रों में वी. वी. पी. ए. टी. सत्यापन के लिए निर्देश जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ख) उत्तरदाताओं को एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वे नियमों के अनुसार लिखित प्रारूप में मतदाता सूची प्रकाशित करें और मतदाता पंजीकरण नियमों,1960 के नियम 22 (1) (सी) के तहत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से संबंधित सभी शिकायतों पर तेजी से निर्णय लें और राजनीतिक दलों को सूचित किए बिना मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाने पर प्रतिबंध लगाना;

(ग) वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए आधारों/मुद्दों पर विचार करते हुए उत्तरदाताओं को वी. वी. पी. ए. टी. के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें यादृच्छिक वी. वी. पी. ए. टी. जांच, मॉक पोल और पुनर्मतगणना, थर्मल पेपर और प्रिंटिंग की गुणवत्ता, पेपर ट्रेल और भंडारण का संग्रह, वी. वी. पी. ए. टी. और पेपर ट्रेल संग्रह बक्से पर अद्वितीय पहचान संख्या, चुनाव से पहले और बाद में ई. वी. एम. और वी. वी. पी. ए. टी. का परिवहन, वी. वी. पी. ए. टी. की प्रथम स्तर की जांच (एफ. एल. सी.) और अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है।

(घ) न्याय के हित में कोई भी ऐसा और अन्य आदेश पारित किया जाए जो आवश्यक हो और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जाए।

2. जैसा कि उपरोक्त प्रार्थना खंड से देखा जा सकता है, अनिवार्य रूप से दो अनुतोषों के लिए प्रार्थना की जाती है।पहला अनुतोष 10 प्रतिशत मतों के लिए यादृच्छिक आधार पर मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वी. वी. पी. ए. टी.) सत्यापन के लिए निर्देश जारी करने के लिए है। दूसरा, याचिकाकर्ता को 31 जुलाई, 2018 को लिखित प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे की सॉफ्ट प्रतियां प्रदान करने का निर्देश देना; मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों पर तेजी से निर्णय लेना; और राजनीतिक दलों को सूचित किए बिना मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाने पर रोक लगाना।

3. 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1000 में भी इसी तरह की राहत दी गई थी।हालाँकि, 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 935 में जो तथ्य सामने आए हैं, उन पर ध्यान दिया गया।

4. हम शुरू में ही यह बताना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई विस्तृत दलीलें दूसरी प्रार्थना पर केंद्रित थीं, वह भी लिखित प्रारूप में मतदाता सूची के मसौदे की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए।जहां तक पहली अनुतोष का संबंध है, प्रत्यर्थी संख्या 1- भारत निर्वाचन आयोग (जिसे इसके बाद 'ईसीआई' के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने इस आधार पर इस तरह के अनुरोध की स्थिरता पर आपत्ति जताई थी कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।हम उचित स्तर पर इस पहलू पर संबंधित प्रस्तुतियों पर ध्यान देंगे।चूंकि, दूसरी प्रार्थना विवाद की जड़ बन गई है, इसलिए पहले उदाहरण में, हम उस पहलू से निपटना चाहेंगे।

5. मुख्य कारण जिसके लिए याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं को लिखित प्रारूप में मतदाता सूची प्रकाशित करने और उसे प्रदान करने का निर्देश देने की मांग कर रहा है, वह यह है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता सूची ठीक से और निष्पक्ष रूप से तैयार की गई है, जिसमें एक ओर सभी पात्र मतदाता शामिल हैं और साथ ही डुप्लिकेट, नकली या गलत मतदाताओं को भी बाहर रखा गया है।याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ 3 जून, 2018 को विधानसभा चुनाव, 2018 के लिए मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में विभिन्न डुप्लिकेट, दोहराव, कई, अवैध, अमान्य और झूठी प्रविष्टियों/मतदाताओं पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया और निर्वाचन आयोग से इसे संबोधित करने का अनुरोध किया गया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से मध्य प्रदेश राज्य में मतदाताओं की जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।यह तर्क दिया जाता है कि यदि जन्म वर्ष 1991-2001 वाले मतदाता 2008-2018 के बीच 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, तो यह उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि वर्षों 2008-2018 में जोड़े गए नए मतदाता जनसंख्या में वृद्धि यानी 1,18,18,290 के समान होंगे।हालाँकि, यह देखना चौंकाने वाला

और चिंताजनक है कि मतदाताओं की कुल संख्या में वृद्धि अर्थात 1,45,13,404 (40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि) 2008-2018 के दौरान जनसंख्या में तदनुरूप वृद्धि में हुई है। इसलिए, मध्य प्रदेश राज्य में जनसंख्या वृद्धि अर्थात लाखों वोटों की यह अतिरिक्त वृद्धि अकल्पनीय और अतुलनीय प्रतीत होती है।

6. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने गलतियों को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रतिनिधित्व दिया। निर्वाचन आयोग ने 16 जुलाई, 2018 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए. आई. सी. सी.) को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा 3 जून, 2018 के अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है।साथ ही, निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित प्रभाव से यह भी स्वीकार किया था कि मतदाता सूची में कुछ डुप्लिकेट और नकली प्रविष्टियां थीं:

(ए) बार-बार प्रविष्टि में आई. एन. टी. आर. ए. ए. सी.-9664 मामले पाए गए

(बी) बार-बार प्रविष्टि में आई. एन. टी. ई. आर. ए. सी.-8278 मामले पाए गए

(सी) फोटो प्रविष्टि-2,37,234 फोटो प्रविष्टि संदिग्ध/अस्पष्ट/खाली फोटो पाई गई;

7. याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करता है कि इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2018 में प्रकाशित मध्य प्रदेश राज्य की मतदाता सूची से चौबीस लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया है।ई. सी. आई. ने यह भी स्वीकार किया है कि 2,37,234 फोटो प्रविष्टियाँ संदिग्ध, अस्पष्ट और खाली तस्वीरें पाई गई हैं।उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि राजनीतिक दलों को लिखित प्रारूप में मतदाता सूची प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन कर सकें और यह पता लगा सकें कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में कोई डुप्लिकेट या नकली मतदाता हैं या नहीं।

8. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने लिखित रूप में पी. डी. एफ. के रूप में मतदाता सूची की आपूर्ति की उपरोक्त मांग के समर्थन में चुनाव नियमावली 2016 के अध्याय 11 के खंड 11.2.2 का उल्लेख किया जो इस प्रकार है:

> "11. 2. 2 वेबसाइट पर मसौदा सूची डालना:- इसके अतिरिक्त, मसौदा सूची को उसी दिन पीडीएफ प्रारूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा।ड्राफ्ट रोल को वेबसाइट पर टेक्स्ट मोड में रखा जाएगा और मतदाता के विवरण के सामने कोई तस्वीर नहीं दिखाई देगी।इसके बजाय यह मतदाता की तस्वीर के लिए बने बॉक्स में इंगित करेगा कि फोटो उपलब्ध है या नहीं।"

9. यह तर्क दिया गया था कि चुनाव नियमावली में ही निहित उपरोक्त खंड के अनुसार, निर्वाचन आयोग को बिना किसी तस्वीर के लिखित रूप में मसौदा सूची तैयार करने की आवश्यकता थी।इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को आंकड़ों का विश्लेषण और जांच करने में सक्षम बनाना था और इसके आधार पर कोई भी आवश्यक सुझाव देना या यदि यह पाया जाता है कि दोहरे या नकली मतदाता हैं तो आपत्तियां प्रस्तुत करना था।उपरोक्त जनादेश के विपरीत, निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी 230 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पी. डी. एफ. गैर-संपादन योग्य रूप में 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे वाली कॉम्पैक्ट डिस्क (सी. डी.) प्रदान की है।इस तरह की स्कैन की गई प्रतियां वास्तव में चित्र हैं और इसलिए, जांच के उद्देश्य के लिए अपर्याप्त हैं जिसमें डेटा का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 2013 के विधानसभा चुनावों में, मतदाता सूची का मसौदा लिखित रूप में प्रदान किया गया था।इसी तरह, राजस्थान राज्य के लिए 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित मतदाता सूची का मसौदा भी लिखित रूप में प्रदान किया गया है।

मौजूदा मामले में किया गया प्रस्थान अनुचित माना गया है।

10. ई. सी. आई. ने एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है।यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट पर मतदाता सूची को टेक्स्ट मोड में रखा है और यहां तक कि वेबसाइट पर चित्र भी टेक्स्ट मोड में हैं।हालांकि, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की निजता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को स्कैन करने योग्य पाठ मोड में इन मतदाता सूची की प्रतियां नहीं देने का एक सचेत निर्णय लिया है।जवाबी हलफनामे में रिट याचिका में विभिन्न कथनों का जोरदार खंडन किया गया है।ई. सी. आई. ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में विभिन्न डुप्लिकेट, रिपीट, कई प्रविष्टियों/मतदाताओं के संबंध में 3 जून, 2018 को प्राप्त शिकायत के अनुसार, 91 निर्वाचन क्षेत्रों के 'एसी के भीतर' के लिए 26.76 लाख रिकॉर्ड और 101 निर्वाचन क्षेत्रों के 'एसी के पार' के 26.74 लाख रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे।इन सभी शर्तों को घर-घर अभियान में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।भौतिक सत्यापन में, 23,67,487 मतदाता उपस्थित पाए गए, 2,34,596 मतदाता या तो पहले से ही हटा दिए गए थे या संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकित नहीं पाए गए थे।46, 859 मामलों में, मतदाता अनुपस्थित पाए गए और 16,675 मतदाता मृत पाए गए।ऐसे सभी मामलों में हटाने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।इस बात पर जोर दिया जाता है कि बार-बार प्रवेश की श्रेणी में केवल 8,728 मामले पाए गए, जिनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

11. निर्वाचन आयोग स्वीकार करता है कि 19 जनवरी, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक निरंतर अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के दौरान, मतदाता सूची से लगभग 24 लाख प्रविष्टियों को हटा दिया गया था और यह भी सही है कि 2 लाख से अधिक फोटो प्रविष्टियों को अस्पष्ट/खाली/बार-बार फोटो होने के रूप में चिह्नित किया गया था, लेकिन इन प्रविष्टियों में से, 1,04,284 प्रविष्टियां वैध पाई गईं और मतदाता सूची के उपरोक्त निरंतर अद्यतनीकरण के दौरान केवल 97,687 प्रविष्टियों को सही करना पड़ा।स्पष्टीकरण दिया गया है कि मतदाता सूची अद्यतन करना एक निरंतर और निरंतर प्रक्रिया है और निर्वाचन आयोग के साथ-साथ मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (बी. एल. ओ.) द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के आधार पर और एन. एस. वी. पी., सी. ई. ओ. वेबसाइट या हेल्प लाइन संख्या (1950) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों आदि के माध्यम से एकत्र की गई सभी प्रकार की जानकारी को संसाधित करके मतदाताओं के नामों को लगातार जोड़कर या हटा कर मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

12. यह भी दावा किया जाता है कि निर्वाचन आयोग चुनावी पंजीकरण में पारदर्शिता के उपाय कर रहा है।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 11 (सी) और 22 (सी) के प्रावधानों के तहत मसौदा प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची की दो प्रतियां (मतदाताओं की छवि के साथ पीडीएफ में एक हार्ड कॉपी और बिना मतदाताओं की छवि के सॉफ्ट कॉपी में) मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल/गैर-सरकारी संगठन/जनता मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (मतदाताओं की छवियों के बिना) एक सी. डी. में पी. डी. एफ. प्रारूप में केवल 100 रूपए प्रति सी. डी के नाममात्र मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं. जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची होती है, अनुरोध पर।उपरोक्त के अलावा, ईसीआई के मौजूदा निर्देशों के अनुसार,मतदाता सूची की छवि पी. डी. एफ. संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है ताकि आम जनता के लिए इसे सार्वजनिक किया जा सके।आम जनता वर्णमाला, अंक और विशेष वर्णों वाले कैप्चा के माध्यम से मतदाता सूची की ऐसी छवि पीडीएफ तक पहुंच सकती है।

13. उपरोक्त कथनों के आधार पर, श्री विकास सिंह ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग

स्वयं डी-डुप्लिकेशन का अभ्यास करता है जिसे उसके द्वारा आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों को भी सूचित किया गया था।उन्होंने दृढ़ता के साथ यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के 03 जून, 2018 के अभ्यावेदन का जवाब 08 जून, 2018 को दिया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सुधार पहले ही किए जा चुके थे।उनके अनुसार, ये सुधार 25 मई, 2018 को ही हुए थे, यानी याचिकाकर्ता द्वारा 3 जून, 2018 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले ही।इसे 08 जून, 2018 को विधिवत सूचित किया गया था।इसके बाद 31 जुलाई, 2018 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया, जिसमें सभी चिंताओं का ध्यान रखा गया है।मतदाताओं की निजता के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, श्री विकास सिंह ने तर्क दिया कि यदि मतदाता सूची लिखित रूप में प्रदान की जाती है, तो यह विभिन्न प्रकृति के डेटा माइनिंग को सक्षम बनाएगा।इस कारण से, इस मामले पर फिर से विचार किया गया और निर्वाचन आयोग ने छवि के रूप में सूची प्रदान करने का निर्णय लिया।यह प्रस्तुत किया गया था कि चुनाव नियमावली 2016 के अध्याय 11 के खंड 11.2.2, जिस पर निर्भरता रखी गई थी, को खोजने योग्य पाठ मोड में मतदाता सूची के मसौदे की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, यह केवल एक प्रशासनिक नियमावली थी और इसका कोई वैधानिक बल नहीं था।आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें हमेशा उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।इसलिए, मतदाताओं की सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को देखते हुए गैर-खोज योग्य पाठ मोड की आपूर्ति के लिए 4 जनवरी, 2018 को निर्देशों के रूप में एक सचेत निर्णय लिया गया था।श्री विकास सिंह ने कहा कि **के. एस. पुत्तास्वामी एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य (2017) 10 एससीसी 1** में निजता के अधिकार को अब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।इसकी देखभाल करना ईसीआई का कर्तव्य बन जाता है।

14. यह समझा जा सकता है कि वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या मतदाता सूची राजनीतिक दलों को टेक्स्ट मोड में प्रदान की जानी है, भले ही वह पीडीएफ के रूप में हो। इसलिए, हमारी चर्चा इस मुद्दे पर केंद्रित है।

15. ई. सी. आई. की ईमानदारी के बारे में कोई संदेह नहीं है। यह रिकॉर्ड की बात है कि पिछले 25-30 वर्षों में, ईसीआई ने एक निष्पक्ष निकाय की प्रतिष्ठा बनाई है जो निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करता है।यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है और अपने कार्यों का काफी संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर रहा है।इस देश के लोग, मोटे तौर पर, अपने कार्यों के निर्वहन के निष्पक्ष तरीके के लिए इस संस्था पर भरोसा करते हैं।यह एक लोकतांत्रिक राजनीति में भी बिल्कुल आवश्यक है जहां 'हम, लोग' राज्य की विधानसभाओं के साथ-साथ केंद्र में संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।यह लोगों की इच्छा है जिसे सही मायने में वास्तविकता में परिवर्तित किया जाना चाहिए।इस मायने में, ई. सी. आई. का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे अत्यंत ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्पक्षतावाद के साथ पूरा करना चाहिए।2002 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (2002) 8 एससीसी 237 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से चुनाव आयोग के महत्व पर जोर दियाः

> "105. चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह नए सिरे से चुनाव कराए और यह देखे कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार जल्द से जल्द स्थापित हो और चुनाव आयोग के किसी भी निर्णय को, जिसका उद्देश्य निर्वाचित सरकार बनाने के इस स्पष्ट उद्देश्य को विफल करना है, निश्चित रूप से अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय विकृत, अनुचित या बाहरी कारणों से है और यदि चुनाव आयोग के निर्णय को इनमें से किसी भी आधार से दूषित किया जाता है तो अदालत चुनाव के संचालन के लिए उचित निर्देश दे सकती है।"

16. निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग से यह भी सुनिश्चित करने की

अपेक्षा की जाती है कि केवल वास्तविक मतदाता ही अपना वोट डालें।इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा तैयार की गई मतदान सूची में कोई डुप्लिकेट, नकली या गलत मतदाता न हो।इसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वास्तविक मतदाता छूट न जाएं।इसलिए, मतदाता सूची हर मायने में वास्तविक होनी चाहिए।यही कारण है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का मसौदा तैयार करता है।ऐसा करते समय, यह डुप्लिकेट, रिपीट या नकली मतदाताओं को हटाने का प्रयास करता है।यह सभी वास्तविक मतदाताओं को शामिल करने का भी प्रयास करता है।यह प्रक्रिया न केवल यांत्रिक उपकरणों, अर्थात् कंप्यूटर आदि की सहायता से की जाती है, बल्कि घर-घर जाकर अपनी मानव शक्ति भेजकर भी की जाती है।इसी कारण से, अर्थात्, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूचियाँ त्रुटिहीन हैं, इन सूचियों को वेबसाइट पर मतदाताओं के देखने के लिए रखा जाता है और जिन्हें बाहर रखा गया है वे उसी के बारे में शिकायत/प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।इसी तरह, इसी कारण से, मतदाता सूचियों की प्रतियां राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाती हैं और उनकी आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।ऐसा राजनीतिक दलों को इन सूचियों को देखने का मौका देने के लिए किया जाता है ताकि वे इनमें किसी भी त्रुटि, यदि कोई हो, को इंगित कर सकें। निर्वाचन आयोग इस उद्देश्य के लिए सभी दलों की बैठकें भी आयोजित करता है जहां ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

17. ई. सी. आई. का दावा है कि उसने इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

18. निर्वाचन आयोग द्वारा हलफनामे में कहा गया है कि 19 जनवरी, 2018 की मतदाता सूची के मसौदे में निर्वाचन आयोग द्वारा 25 मई, 2018 के आसपास सुधार किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता और जिस राजनीतिक दल से वह संबद्ध हैं, उनकी पहली शिकायत 3 जून, 2018 की है। इसके बाद, निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ता और उनके राजनीतिक दल को 08 जून, 2018,15 जून, 2018 और 16 जुलाई, 2018 को एक विस्तृत जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि मतदाता सूची में सुधार किया गया है।इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई, 2018 को याचिकाकर्ता और जिस राजनीतिक दल से वह संबद्ध हैं, उन्हें संशोधित मसौदा मतदाता सूची की एक प्रति भी प्रदान की। बाद में यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने अब 27 सितंबर, 2018 को अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की है और याचिकाकर्ता (और उनके राजनीतिक दल) को इसकी एक प्रति प्रदान की है, जिसमें ऐसी सभी खामियों/विसंगतियों के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही ठीक किया जा चुका है।निर्वाचन आयोग ने समझाया है कि मतदाता सूची का संशोधन और अद्यतनीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे निर्वाचन आयोग लगातार जारी रखे हुए है।

19. उपरोक्त संदर्भ में, हमें लिखित प्रारूप में मतदाता सूची की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता की मांग की जांच करने की आवश्यकता है।यह मांग चुनाव नियमावली के खंड 11.2.2 पर आधारित है जिसे पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।यह खंड ई. सी. आई. पर अपनी वेबसाइट पर ड्राफ्ट रोल को पी. डी. एफ. प्रारूप में रखने का दायित्व रखता है। इसका उद्देश्य इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना है ताकि प्रत्येक मतदाता इसे देख सके और यह पता लगा सके कि उसका नाम सही तरीके से दिखाया गया है या नहीं और किसी भी त्रुटि के मामले में उक्त मतदाता इसे ठीक करने की स्थिति में हो।इसी तरह, मामले में यह उल्लेख किया जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने 20 सितंबर, 2018 को एक निजी वेबसाइट से दस्तावेजों को पेश करने और सुनवाई के दौरान अदालत को सौंपने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके आधार पर यह प्रदर्शित करने की मांग की गई थी कि मतदाता सूची में गलतियां थीं क्योंकि 36 मतदाताओं के खिलाफ एक ही चेहरा दिखाया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह इस न्यायालय को पूर्वाग्रह और गुमराह करने के लिए किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई उपरोक्त त्रुटि को 25 मई, 2018 के आसपास पहले ही ठीक कर लिया गया था और इस तथ्य को याचिकाकर्ता को भी सूचित किया गया था।उनके अनुसार, इसके बाद वर्तमान याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं था और किसी भी मामले में, उक्त दस्तावेज जमा करने का कोई कारण नहीं था।दूसरी

ओर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि उपरोक्त दस्तावेज़ पेश करने का उद्देश्य यह दिखाना था कि इस तरह की स्पष्ट गलतियाँ पहले की गई हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा इन गलतियों को इंगित करने के बाद ही सुधारा जा सकता है।चाहे जो भी हो, हम इस मामले को वहीं छोड़ देते हैं।

एक विशेष मतदाता सूची से गायब है, वह व्यक्ति अपना नाम शामिल करने के लिए ईसीआई के साथ मामला उठाने की स्थिति में होगा।।इसकी एक प्रति राजनीतिक दलों को भी दी जाती है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों का यह सुनिश्चित करने में समान हित है कि उपरोक्त गलतियों को दूर किया जाए।वे अतिरिक्त रूप से जांच कर सकते हैं कि क्या सूची में डुप्लिकेट या नकली मतदाता भी हैं और उसमें सुधार की मांग कर सकते हैं।इस हद तक कोई झगड़ा नहीं है।हालांकि, उपरोक्त खंड के दूसरे भाग में उल्लेख किया गया है कि ड्राफ्ट रोल को 'टेक्स्ट मोड' में रखा जाएगा।इसमें यह भी कहा गया है कि मतदाताओं के विवरण के सामने कोई तस्वीर नहीं दिखाई देगी।पूरा विवाद उस अर्थ पर निर्भर करता है जिसे 'टेक्स्ट मोड' को सौंपा जाना है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'टेक्स्ट मोड' वह है जो खोज तकनीक भी प्रदान करता है।इस प्रयोजन से , विकिपीडिया से 'पूर्ण पाठ खोज' का निम्नलिखित विवरण तैयार किया गया हैः

> "पाठ पुनर्प्राप्ति में, पूर्ण-पाठ खोज एक एकल कंप्यूटर-संग्रहीत दस्तावेज़ या पूर्ण-पाठ डेटाबेस में एक संग्रह को खोजने की तकनीकों को संदर्भित करती है।पूर्ण-पाठ खोज को मेटाडेटा या डेटाबेस में दर्शाए गए मूल ग्रंथों के कुछ हिस्सों (जैसे शीर्षक, सार, चयनित खंड, या ग्रंथसूची संदर्भ) के आधार पर खोजों से अलग किया जाता है।
>
> पूर्ण-पाठ खोज में, एक खोज इंजन प्रत्येक संग्रहीत दस्तावेज़ में सभी शब्दों की जांच करता है क्योंकि यह खोज मानदंड (उदाहरण के लिए, एक उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट पाठ) से मेल खाने की कोशिश करता है।1990 के दशक में ऑनलाइन ग्रंथसूची डेटाबेस में पूर्ण-पाठ-खोज तकनीकें आम हो गईं।कई वेबसाइट और एप्लिकेशन प्रोग्राम (जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर) पूर्ण-पाठ-खोज क्षमता प्रदान करते हैं।कुछ वेब खोज इंजन, जैसे कि अल्टाविस्टा, पूर्ण-पाठ-खोज तकनीकों का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य अपने अनुक्रमण प्रणाली द्वारा जांचे गए वेब पृष्ठों के केवल एक हिस्से को अनुक्रमित करते हैं।

20. श्री विकास सिंह का खंडन यह है कि चुनाव नियमावली के खंड 11.2.2 में 'टेक्स्ट मोड' मतदाता सूची के मसौदे की 'सामग्री' से संबंधित है न कि इसके 'प्रारूप' से।यह तर्क दिया जाता है कि नियमावली के उपरोक्त खंड में प्रिस्क्रिप्शन के लिए मतदाता सूची के मसौदे को लिखित रूप में रखने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ होगा कि इसमें केवल मतदाता के विवरण जैसे उसका नाम, पता, उम्र आदि का पाठ होना चाहिए, न कि उसकी तस्वीर।यह समझाया गया है कि किसी भी पीडीएफ दस्तावेज़ में आम तौर पर दो प्रकार की सामग्री होती हैः(i) पाठ और (ii) चित्र/छायाचित्र/सचित्र सामग्री।किसी भी मतदाता के विवरण में उसका नाम, उम्र, पता आदि (यानी 'पाठ भाग') के साथ-साथ उसकी तस्वीर (यानी 'फोटो/चित्र/सचित्र सामग्री भाग ') शामिल होगी। इस प्रकार, चुनाव नियमावली के खंड 11.2.2 में 'टेक्स्ट मोड' वाक्यांश के उपयोग का केवल यह अर्थ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर रखी गई मतदाता सूची के मसौदे में केवल मतदाता के विवरण का 'पाठ' होगा, न कि उसकी 'तस्वीरें/चित्र/सचित्र सामग्री'।यह भी समझाया गया है कि प्रत्येक पी. डी. एफ. दस्तावेज़, चाहे वह खोज योग्य हो या गैर-खोज योग्य/छवि पी. डी. एफ. हो और जिसमें 'टेक्स्ट मोड' में कोई भी पाठ सामग्री हो, उस अर्थ में पी. डी. एफ. है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडीएफ दस्तावेज़ का 'टेक्स्ट मोड' प्रारूप कुछ भी नहीं है।उस संबंध में एक साधारण 'गूगल खोज' भी

स्पष्ट रूप से और निर्णायक रूप से इसे स्थापित करेगी।

21. हम ई. सी. आई. के प्रस्तुतीकरण में बल पाते हैं। चुनाव नियमावली के खंड 11.2.2 में 'टेक्स्ट मोड' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।उस मोड में मतदाता सूची का मसौदा, यानी टेक्स्ट मोड, याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है।खंड में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मतदाता सूची के मसौदे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 'खोज योग्य पीडीएफ' में रखा जाना चाहिए।इसलिए, याचिकाकर्ता एक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता है कि मतदाता सूची का मसौदा वेबसाइट पर 'खोज योग्य मोड' में रखा जाना चाहिए।यह केवल 'टेक्स्ट मोड' में होना चाहिए और इसे इस प्रकार प्रदान किया गया है।

22. याचिकाकर्ता द्वारा विकिपीडिया के दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है जो 'पूर्ण पाठ खोज' से संबंधित है न कि 'पाठ मोड' से।जाहिर है, जब उक्त दस्तावेज़ बताता है कि 'पूर्ण पाठ खोज' कैसे की जानी है, तो स्पष्टीकरण यह होगा कि यह एक खोज इंजन है जो प्रत्येक संग्रहीत दस्तावेज़ों में सभी शब्दों की जांच करता है और पूर्ण पाठ खोज तकनीक भी प्रदान करता है। हालाँकि, चुनाव नियमावली के खंड 11.2.2 में 'खोज' शब्दों की अनुपस्थिति सभी अंतर लाएगी।

23. ई. सी. आई. द्वारा यह सही ढंग से समझाया गया है कि पी. डी. एफ. दस्तावेज़ मुख्य रूप से दो प्रकार/प्रारूपों के होते हैं, अर्थात्:

> (i) "केवल छवि" या स्कैन की गई पी. डी. एफ.-एम. एफ. पी. और कार्यालय स्कैनर पर हार्ड कॉपी दस्तावेजों को स्कैन करते समय, या कैमरा छवि, जे. पी. जी., टिफ़ या स्क्रीनशॉट को पी. डी. एफ. में परिवर्तित करते समय, सामग्री को स्नैपशॉट जैसी छवि में "लॉक" किया जाता है, बिना किसी अंतर्निहित पाठ परत के।इस तरह के केवल छवि वाले पीडीएफ दस्तावेजों में केवल पृष्ठों की स्कैन की गई/फोटोग्राफ की गई छवियां होती हैं।केवल छवि वाली पी. डी. एफ. फाइलें खोजने योग्य नहीं हैं, और उनके पाठ को आमतौर पर चुना, खोजा या प्रतिलिपि नहीं किया जा सकता है।
>
> (ii) खोजने योग्य पी. डी. एफ.-खोजने योग्य पी. डी. एफ. में, छवि परत में एक पाठ परत जोड़ी जाती है, जिसे आमतौर पर नीचे रखा जाता है।इस तरह की पी. डी. एफ. फाइलें मूल दस्तावेजों से लगभग अविवेच्य होती हैं और पूरी तरह से खोज योग्य होती हैं।खोज योग्य पी. डी. एफ. दस्तावेजों में पाठ का चयन, खोज और प्रतिलिपि बनाई जा सकती है।

24. एक बार जब हम पाते हैं कि खंड 11.2.2 याचिकाकर्ता को मतदाता सूची के मसौदे को लिखित रूप में प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, जो 'पूर्ण पाठ खोज' प्रपत्र में भी खोज योग्य है, तो यह निर्वाचन आयोग को तय करना है कि मतदाता सूची के मसौदे को किस प्रारूप में प्रकाशित किया जाना है।ई. सी. आई. ने खोजने योग्य पी. डी. एफ. प्रारूप में मतदाता सूची का मसौदा उपलब्ध कराने में याचिकाकर्ता के अनुरोध का पालन नहीं करने के कारण बताए हैं।इसके अनुसार, मतदाताओं की निजता के मुद्दे शामिल हैं और निर्वाचन आयोग के कदम का उद्देश्य मतदाता प्रोफाइलिंग और डेटा माइनिंग को रोकना है।ई. सी. आई. के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है, यह भी आवश्यक है कि ई. सी. आई. मतदाताओं की गोपनीयता और प्रोफाइलिंग की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसलिए सभी एहतियाती कदम उठाना कर्तव्य है।हालाँकि, इस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है।

25. एक बार जब हम निर्वाचन नियमावली के खंड 11.2.2 को उपरोक्त तरीके से पढ़ते और व्याख्या करते हैं, तो निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया निर्णय जो 4 जनवरी, 2018 के

अपने निर्देशों में निहित है, प्रासंगिक हो जाता है।उन निर्देशों में, निर्वाचन आयोग ने अपने क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को मतदाता सूची की केवल 'छवि पीडीएफ' को सार्वजनिक डोमेन में रखने का निर्देश दिया है।इसलिए, हमारी राय है कि जिस प्रारूप में मतदाता सूची का मसौदा याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाता है, वह चुनाव नियमावली में निहित आवश्यकता को पूरा करता है।यह जोड़ा जा सकता है कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा चाहता है, तो वह हमेशा इसे खोज योग्य मोड में बदल सकता है, जिसके लिए उसे निश्चित रूप से अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

26. याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई अन्य अनुतोष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा चुनावी क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिशत यादृच्छिक रूप से चुने गए मतदान केंद्रों में वी. वी. पी. ए. टी. सत्यापन के लिए निर्देश प्राप्त करना है।इस संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने नियम 56 (डी) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इस मुद्दे को याचिकाकर्ता द्वारा इस पहलू पर दायर कुछ रिट याचिकाओं में पहले के अवसरों पर पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए नहीं उठाया जा सकता है।प्रत्यर्थीगण ने **प्रकाश जोशी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (**30 अक्टूबर, 2017 को डब्ल्यू.पी.(सी) 2017 का क्रमांक 983 में निर्णय लिया गया)में पारित आदेशों का हवाला दिया। उस मामले में भी, जहां समान प्रार्थना की गई थी,याचिका का निपटारा 30 अक्टूबर, 2017 के आदेशों द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया गया थाः

"श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान महान्यायवादी अग्रह् करते हैं कि जहाँ तक प्रार्थना (ए) का संबंध है, भारत निर्वाचन आयोग पहले ही इसे लागू कर चुका है।स्थिति के अनुरूप है श्री अमित शर्मा, भारत निर्वाचन आयोग के विद्वान वकील। जहाँ तक प्रार्थना (ख) का संबंध है, श्री के. के. वेणुगोपाल ने आग्रह किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही दिशा-निर्देश लाए जा चुके हैं।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल और श्री विवेक तन्खा ने इस पर आपत्ति जताई है।हम इसे भारत के चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं हैं।जहाँ तक प्रार्थना (ग) का संबंध है, श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के चुनाव आयोग ने उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और यह न्यायालय कह सकता है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, उसे किसी भी प्रमुख पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

श्री के. के. वेणुगोपाल को सुनने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को तैनात नहीं करेगा, जिसके खिलाफ किसी भी जिले में किसी भी प्रमुख पद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

जहां तक मतदान केंद्र के अंदर व्यक्तियों की गतिशीलता को देखने के लिए मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने और मतदान केंद्र के बाहर मतदान की संख्या के साथ इस तरह के वीडियोग्राफ को डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने के संबंध में प्रार्थना (घ) का संबंध है, हमारी विचारणीय राय है कि इसकी अनुमति नहीं है और तदनुसार, उक्त प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।

तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

27. एक अन्य रिट याचिका 2017 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1012 **मनुभाई छावड़ा विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य** लगभग समान प्रार्थना के साथ अक्टूबर 2017 में ही इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।इसे 20 नवंबर, 2017 को सीमित अवधि में खारिज कर दिया गया था।जवाबी हलफनामे में, ई. सी. आई. ने गुजरात उच्च न्यायालय में दायर इसी तरह की रिट याचिकाओं का भी उल्लेख किया है, जिनका भी यही हाल हुआ।

28. 2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 983 में पारित 30 अक्टूबर, 2017 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और अदालत में ईसीआई द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, हम इस राहत को स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते हैं।

तदनुसार रिट याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।